न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 10/2023

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर – प्रार्थी

बनाम

1.श्री राम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जरिये पावर अर्टोनी होल्डर कमल किशोर मूलचन्दानी पुत्र श्री मनोहरलाल मूलचन्दानी, जाति सिंधी निवासी 1/274, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर राजस्थान – अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–ःआदेशः–

दिनांक 17.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 02.01.2023 को अवैध रूप से गैस सिलेण्डरो के भण्डारण एवं रिफिलिंग के सबंध में प्राप्त शिकायत के क्रम में श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना अजमेर पर पहुँचकर जांच दल द्वारा मौके पर दो ट्रको में एलपीजी रखे पाये गए जिसमें एक ट्रक भारत पेट्रोलियम अंकित था जिसका पंजीकरण संख्या RJ-01-GA-5118 है दूसरे ट्रक जिस पर इण्डेन इण्डियन ऑयल अंकित है जिसका पंजीकरण संख्या RJ-14-GH-1531 है तथा रेस्टोरेन्ट के सामने व ट्रको के बीच में जमीन पर रेस्टोरेन्ट के ऑपन किचन से सटाकर 41 घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डर रखे हुए पाये एवं रेस्टोरेंट के दूसरे छोर पर एक पिकअप सं. RJ-22 GA-6611 में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण व बिक्री करना पाया गया। रेस्टोरेन्ट के सामने ही ट्रक RJ-14-GH-1531 भी खडा होना पाया गया। इस ट्रक के चालक श्री श्योजी राम पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम आम्रवासी, देवली जिला टोंक ने बताया कि वह ट्रक इण्डेन बोटलिग प्लांट तबीजी से 31.12.2022 को पाली जिले की गैस एजेन्सी भोलेश्वर इण्डेन ग्रामीण वितरक जोजावर के लिए 342 सिलेण्डर लेकर आपूर्ति के लिए रवाना हुआ है। यह ट्रक 48 घन्टे बाद भी प्लांट के निकट 5 किलोमीटर दूरी पर श्री बालाजी रेस्टोरेट के सामने जहां अवैध रिफिलिंग व भण्डारण किया जाता है खडा पाया। मौके पर इण्डेन बोटलिंग प्लांट के मैनेजर द्वारा भी ट्रक व दस्तावेजो का परीक्षण करने पर ट्रक चालक व ट्रासपोर्टर द्वारा गैस सिलेण्डर सप्लाई नहीं करने का कोई दस्तावेज व संतोषजनक जवाब प्रदान नही किया गया जिससे गैस सिलेण्डर की रिफलिंग व अवैध व्यवसाय में प्रयुक्त होने की प्रबल संभावना एवं रिफलिंग से होने वाली व्यापक जनहानि के मध्यनजर मौके

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पर ही उक्त ट्रक मय एलपीजी गैस सिलेण्डर राजहित में जब्त किये जाकर मैनेजर इण्डेन बोटलिग प्लांटे तबीजी को सपुर्दगी में दिया गया। मौके पर श्री मिट्ठूराम के पास बाडे में एक बडा रिफलिंग जुगााड यंत्र बरामद हुआ। जिसे गैस टेंकर से गैस निकालकर एक साथ 6 गैस सिलेण्डर भरे जा सकते है। जुगाड यंत्र के पास 25 प्लास्टिक सिलेण्डर कैप व सीले टूटी हुई व बिखरी हुई पाई गई एवं बासूरी यंत्र (गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाला यंत्र) भी बरामद हुआ। इस प्रकार व्यवसायी श्री बालाजी रेस्टोरेंट के मालिक श्री मिट्ठूराम द्वारा स्वयं के रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से भण्डारण कर अवैध रूप से रिफलिंग की जा रही थी एवं रेस्टोरेंट पर ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध खुली बिक्री की जा रही थी जो कि भीषण दुर्घटना की प्रबल संभावना होकर मानव जीवन के लिए अत्यत घातक होना पाया । अप्रार्थीगण द्वारा एल. पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख)4(1)(क)(ख)(घ) एवं खण्ड 6 (1) (क) (ग) एवं गैस सिलेण्डर रूल्य 2016 के विभिन्न प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डीनय अपराध है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना वत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा ट्रक RJ-14-GH-1531 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रा. पत्र वास्ते जब्तशुदा ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 को सुपुर्दगीनामे पर छोडने का प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी (सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर्ता) ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि जवाब में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वितीय एवं उनकी टीम द्वारा दिनांक 02.01.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 राजगढ चौराहा सराधना अजमेर पर बालाजी रेस्टोरेन्ट पर खडे प्रार्थी के ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 के विरूद्व गफलत एवं गलत फेमी के आधार पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थी का वाहन जब्त मय 342 सिलेण्डर भरे हुए के जब्त कर राजसात करने के आवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

पेरोकार सरकार ने कथन किया की दिनांक 02.01.2023 को अवैध रूप से गैस सिलेण्डरो के भण्डारण एवं रिफिलिंग के सबंध में प्राप्त शिकायत के कम

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

में श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना अजमेर पर पहुँचकर जांच दल द्वारा मौके पर दो ट्रको में एलपीजी रखे पाये गए जिसमें एक ट्रक भारत पेट्रोलियम अंकित था जिसका पंजीकरण संख्या RJ-01-GA-5118 है दूसरे ट्रक जिस पर इण्डेन इण्डियन ऑयल अंकित है जिसका पंजीकरण संख्या RJ-14-GH-1531 है तथा रेस्टोरेन्ट के सामने व ट्रको के बीच में जमीन पर रेस्टोरेन्ट के ऑपन किचन से सटाकर 41 घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डर रखे हुए पाये एवं रेस्टोरेंट के दूसरे छोर पर एक पिकअप RJ-22-GA-6611 में मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण व बिक्री करना पाया गया । रेस्टोरेन्ट के सामने ही ट्रक RJ-14-GH-1531 भी खडा होना पाया गया । इस ट्रक के चालक श्री श्योजी राम पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम आम्रवासी, देवली जिला टोक ने बताया कि वह ट्रक इण्डेन बोटलिग प्लांट तबीजी से 31.12.2022 को पाली जिले की गैस एजेन्सी भोलेश्वर इण्डेन ग्रामीण वितरक जोजावर के लिए 342 सिलेण्डर लेकर आपूर्ति के लिए रवाना हुआ है। यह ट्रक 48 घन्टे बाद भी प्लांट के निकट 5 किलोमीटर दूरी पर श्री बालाजी रेस्टोरेट के सामने जहा अवैध रिफलिग व भण्डारण किया जाता है खडा पाया। मौके पर इण्डेन बोटलिंग प्लांट के मैनेजर द्वारा भी ट्रक व दस्तावेजो का परीक्षण करने पर ट्रक चालक व ट्रासपोर्टर द्वारा गैस सिलेण्डर सप्लाई नहीं करने का कोई दस्तावेज व संतोषजनक जवाब प्रदान नही किया गया जिससे गैस सिलेण्डर की रिफलिंग व अवैध व्यवसाय में प्रयुक्त होने की प्रबल संभावना एवं रिफलिंग से होने वाली व्यापक जनहानि के मध्यनजर मौक पर ही उक्त ट्रक मय एलपीजी गैस सिलेण्डर राजहित में जब्त किये जाकर मैनेजर इण्डेन बाटलिग प्लाट तबीजी को सर्पुदगी में दिया गया । मौके पर श्री मिट्ठूराम के पास बाडे में एक बडा रिफलिंग जुगााड यंत्र बरामद हुआ जिसे गैस टेकर से गैस निकालकर एक साथ 6 गैस सिलेण्डर भरे जा सकते है। जुगाड यंत्र के पास 25 प्लास्टिक सिलेण्डर कैप व सीले टूटी हुई व बिखरी हुई पाई गई एवं बांसूरी यंत्र (गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाला यंत्र) भी बरामद हुआ। इस प्रकार व्यवसायी श्री बालाजी रेस्टोरेंट के मालिक श्री मिट्ठूराम द्वारा स्वयं के रेस्टोरेट पर घरेलू गेस सिलेण्डरो का अवैध रूप से भण्डारण कर अवैध रूप से रिफलिंग की जा रही थी एवं रेस्टोरेट पर ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध खुली बिक्री की जा रही थी जो कि भीषण दुर्घटना की प्रबल संभावना होकर मानव जीवन के लिए अत्यत घातक होना पाया। अप्रार्थीगण द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख)4(1)(क)(ख)(घ) एवं खण्ड 6 (1) (क) (ग) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 के विभिन्न प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डीनय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

ट्रक RJ-14-GH-1531 को आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 02.01.2023 को अवैध रूप से गैस सिलेण्डरो के भण्डारण एवं रिफिलिंग के सबंध में प्राप्त शिकायत के तहत जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) अजमेर द्वारा मय जांच दल द्वारा श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना अजमेर मौके से दो ट्रको में एलपीजी सिलेण्डर रखे पाये गए जिसमें भारत पेट्रोलियम अंकित एक ट्रक संख्या RJ-01-GA-5118 में 304 घरेलू व 12 नोन डोमेस्टिक कुल 316 सिलेण्डर एवं सिलेण्डरो में कुल 421 किलोग्राम एलपीजी भरे होना व दूसरे ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 जिस पर इण्डेन इण्डियन ऑयल अंकित था। ट्रक इण्डेन बोटलिंग प्लान्ट तबीजी से पाली जिले की गैस ऐजेन्सी भोलेश्वर इण्डेन ग्रामीण वितरक जोजावर के लिए 342 सिलेण्डर पाए गए। मौके पर वाहन चालक श्री श्योजी राम पुत्र श्री रामपाल की मौजूदगी में इण्डेन बोटलिंग प्लांट के मैनेजर द्वारा भी ट्रक व दस्तावेजो का परीक्षण करने पर ट्रक चालक व ट्रासपोर्टर द्वारा गैस सिलेण्डर सप्लाई करने का कोई दस्तावेज व संतोषजनक जवाब जांच दल के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे गैस सिलेण्डर की रिफलिंग व अवैध व्यवसाय में प्रयुक्त होने की प्रबल संभावना एवं रिफलिंग से होने वाली व्यापक जनहानि के मध्यनजर मौके पर ही उक्त ट्रक मय एलपीजी गैस सिलेण्डर को राजहित में जब्त किये जाकर मैनेजर इण्डेन बाटलिग प्लाट तबीजी को सर्पुदगी में दिया गया। मौके पर जांच दल को उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का रिफिलिंग मशीन द्वारा अवैध भण्डारण एवं बिकी का कार्य किया जाना पाया गया। प्रार्थी/अप्रार्थी ने ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। चूंकि अप्रार्थी स. 1 द्वारा पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख)4(1)(क)(ख)(घ) एवं खण्ड 6 (1) (क) (ग) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 के विभिन्न प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डीनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त ट्रक संख्या RJ-14-GH-1531 के अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 50,000/—अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित ट्रक मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर